भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 500386

सहायक कार्यालय निबन्धक समितियाँ अयोध्या उ0 प्र0

सत्यमेव जयते

श्री उमारमण जन कल्याण समिति

रजि0 = 11961

अमेठी

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची

वर्ष - 2019-20

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स

अयोध्या (उ0 प्र0)

23/09/19

'श्री उमारमण जन कल्याण समिति

ग्राम–जामोकोट पो0–जामों जिला अमेठी

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2019–20

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री कुँवर अक्षय प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद पुत्र श्री एस0पी0 सिंह	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री जय सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह	भूपाल गृह, अमहिया कोठी रीवा म0प्र0	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्रीमती मधुरिमा सिंह पत्नी श्री ए0पी0सिंह	कोठी चन्दापुर जिला रायबरेली उ0प्र0	सचिव/प्रबन्धक	कृषि
4.	श्री सत्यदेव मिश्र पुत्र स्व0अयोध्या प्रसाद मिश्र	जामों गौरा जामों जिला अमेठी	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती प्रतिमा सिंह पत्नी श्री विक्रमाजीत सिंह जूदेव	ग्राम व पो0 लखनपुर सरगुजा म0प्र0	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्रीमती चन्द्रकान्ती सिंह पत्नी स्व0जितेन्द्रनारायण सिंह	कोठी चन्दापुर जिला रायबरेली म0प्र0	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 सूर्यभान सिंह	ग्राम व पो0 अचलपुर जामों जिला अमेठी	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री शीतला प्रसाद मिश्र पुत्र री रामबहोर मिश्र	ग्राम पूरे नेमधर पंडित, पो0 गौरीगंज जिला अमेठी	सदस्य	नौकरी
9.	श्री त्रिभवन प्रसाद यादव पुत्र स्व0रामराज यादव	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
10.	श्री अमहद हुसैन पुत्र श्री रहमत	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
11.	श्री शिवराज हरिजन पुत्र श्री नन्हे	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	मजदूरी
12.	श्री महेश प्रताप शुक्ला पुत्र श्री लालता प्रसाद शुक्ला	ग्राम बलभद्रपुर पो0 जामों अमेठी	सदस्य	नौकरी
13.	श्रीमती अनुपमा सिंह पत्नी श्री प्रमोद सिंह	136 बी श्री कृष्णपुरी कालोनी पटना	सदस्य	समाजसेवा
14.	श्री बृजेन्द्र नारायण सिंह पुत्र श्री दीपेन्द्र नारायण सिंह	ग्राम राजागंज पो0 बालाखान इटावा	सदस्य	कृषि
15.	श्री रामगोपाल पुत्र स्व0 भगवानदीन	ग्राम व पो0 जामो जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
16.	श्रीमती अरूणिमा सिंह पत्नी श्री प्रताप आदित्य सिंह जूदेव	पैलेस सराय केला सिंह भूमि बिहार	सदस्य	समाजसेवा
17.	श्री अभय सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह	कोठी सतना जिला सतना म0प्र0	सदस्य	कृषि

कार्यालय निबन्धक ... अयोध्या उ0 प्र0 — सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)

नि0 आ0 शिवराज

प्रतिलिपि ...
प्रदान करा...

अध्यक्ष
श्री उमारमण जन कल्याण समिति
जामों कोट, जामों–अमेठी (उ0प्र0)

प्रबन्धक
उमा रमण जन कल्याण स...
जामों कोट जामों–अमेठी (उ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AD 629032

कार्यालय निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
फैजाबाद उ०प्र०

श्री उमा रमण जन कल्याण
समिति 1196
अमेठी
संशोधित नियमावली

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/17

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री उमारमण जन कल्याण समिति

2. संस्था का पता : ग्राम जामों कोट,पोस्ट-जामों जिला अमेठी

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

1. आजीवन सदस्य : ऐसे व्यक्ति जो संस्था को 501/एक मुश्त सदस्यता शुल्क देगें।

2. वार्षिक सदस्य : ऐसे व्यक्ति जो संस्था को प्रति वर्ष 101/रूपया सदस्यता शुल्क देगें।

5 सदस्यता की समाप्तिः 1 मृत्यु होने पर। 2 संस्था विरोधी कार्य करने पर अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से निष्कासन। 3 न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर। 4 पागल या दिवालिया हो जाने पर। 5 त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। 6 लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति होने पर। 7 नियमित शुल्क न देने पर।

6 संस्था के अंग 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति ।

7 साधारण सभा :

गठन साधारणसभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

बैठकें : साधारण सभा कीसामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार आहूत की जायेगी।

सूचना अवधि सामान्य बैठक की सूचना दस दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति कुल सदस्यता संख्या का 1/3 बहुमत कोरम होगा। स्थगित बैठक हेतु कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धसमिति की राय से तय की जायेगी।

<u>साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः</u> (1) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना। (2) संस्था का वार्षिक बजट पास करना। (3) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना। (4) आवश्यक संशोधन प्रकिया 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना। (5) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन की व्यवस्था करना एवं आवश्यक होने पर चल-अचल सम्पत्ति का कय-विकय करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक,सचिव/प्रबन्धक एक,कोषाध्यक्ष एक,तथा सात सदस्य होगें। इस प्रकार कुल संख्या ग्यारह होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।

अध्यक्ष
उमा रमण जन कल्याण समिति
जामों कोट जामों, अमेठी (उ0प्र0)

T. P. Y.

नि0 अ0
शिवराज

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में दो बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर सचिव द्वारा आहूत की जा सकती हे।

सूचनाअवधिः सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व देना होगा।

गणपूर्तिः कुल सदस्य संख्या का 1/3 बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलाई गई बैठक के लिये कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के द्वारा बहुमत के आधार पर की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

1 संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना। 2 वार्षिक बजट तैयार करना। 3 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल :प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

क अध्यक्ष : (1) संस्था का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते संस्था के कार्यो एवं कर्तव्यों के प्रति प्रत्यक्षतः एवं परोक्षतःउत्तरदायी होगा। (2) सभी प्रकार की बैठक का एजेण्डा निश्चित करना तिथि निश्चित करना एंव बैठकों को बुलाने का निर्देश देना तथा सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना। (3) बैठकों के लिये दिनॉको का अनुमोदन,परिवर्तन व स्थगतन करना। (4) साधारण सभा एंव प्रबन्धसदस्यों के पंजीकरण का अधिकार केवल अध्यक्ष को होगा। (5) सामान्य मत आने पर अपना निर्णायक मत देना। (6) संस्था के संचालन आवश्यकता हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति व उनके निष्कासन का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को होगा। (7) संस्था की साधारण सभा एंव प्रबन्धकारिणी समिति के किसी भी निर्णय के कियान्वन को विशेष परिस्थितियों मे अपने विशेषाधिकार से स्थगित कर सकता है। (8) संस्था से सम्बन्धित पक्ष विपक्ष के मुदमों की पैरवी करना। (9) सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना। (10) समस्त वंध विवंध दस्तावेज करारनामा,कय-विकय नामा आदि संस्था के पक्ष से हस्ताक्षर करना।

ख उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग तथा उनके कार्यो में सहयोग करना।

ग सचिव/प्रबन्धक 1 साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों का कार्य वृेत्त तैयार करना समस्त पत्र व्यवहार करना व डाक देखना,बैठकें देखना,समस्त लेखा रखना,समिति के कार्य कलापों का पर्यवेक्षण करना,समस्त आय व्यय का लेखा जोखा,कोषाध्यक्ष की सहायता से रखना,संस्था द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि का प्रबन्ध देखना,वार्षिक तुलना पत्र तैयार करना।

घ कोषाध्यक्ष :- आय व्यय का लेखाजोखा रखना,सचिव/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना सदस्यो को चन्दे की रसीद देना व उसका रजिस्टर रखना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

अध्यक्ष
उमा रमण जन कल्याण समिति
जार्मी कोट जार्मी, अमेठी (उ०प्र०)

ह०नि०अ० शिवराज

श्री उमारमण जन कल्याण समिति
ग्राम–जामोकोट पो0–जामों जिला–अमेठी
प्रबन्धकारिणी समिति की सूची
वर्ष 2017–2018

क.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री कुँवर अक्षय प्रताप सिंह (सदस्य विधान परिषद) पुत्र श्री एस0पी0सिंह	ग्राम व पो0 जामोकोट जिला अमेठी	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री सत्यदेव मिश्र पुत्र स्व.अयोध्याप्रसाद मिश्र	जामों गौरा जामों जिला अमेठी	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्रीमती मधुरिमा सिंह पत्नी श्री ए0पी0सिंह	कोठी चन्दापुर जिला रायबरेली (उ0प्र0)	सचिव/प्रबन्धक	कृषि
4.	श्री जय सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह	गोपाल गृह, अमहिया कोठी रीवा (म0प्र0)	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती प्रतिमा सिंह पत्नी श्री विक्रमाजीत सिंह जूदेव	ग्राम व पो0 लखनपुर सरगुजा (म0प्र0)	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्रीमती चन्द्रकान्ती सिंह पत्नी स्व0जितेन्द्र नारायण सिंह	कोठी चन्दापुर जिला रायबरेली (उ0प्र0)	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0सूर्यभान सिंह	ग्राम व पो0 [illegible]पुर जामों, जिला अमेठी	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री शीतला प्रसाद मिश्र पुत्र श्री रामबहोर मिश्र	ग्राम पूरे [illegible]धर पंडित, पो0 गौरीगंज	सदस्य	नौकरी
9.	श्री त्रिभवन प्रसाद यादव पुत्र स्व0रामराज यादव	ग्राम व पो0 जामों, जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
10.	श्री अहमद हुसैन पुत्र श्री रहमत	ग्राम व पो0 जामों, जिला अमेठी	सदस्य	मजदूरी
11.	श्री शिवराज (हरिजन) पुत्र श्री नन्दे	ग्राम व पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	मजदूरी
12.	श्री महेश प्रताप शुक्ला पुत्र श्री लालता प्रसाद शुक्ला	ग्राम बलभद्रपुर, पो0 जामों जिला अमेठी	सदस्य	नौकरी
13.	श्रीमती अनुपमा सिंह पत्नी श्री प्रमोद सिंह	136 बी श्रीकृष्णपुरी, [illegible] पटना	सदस्य	समाजसेवा
14.	श्री बृजेन्द्र नारायण सिंह पुत्र श्री दीपेन्द्र नारायण सिंह	ग्राम राज[illegible]ज, पो0 बालाखान, इटावा	सदस्य	कृषि
15.	श्री रामगोपाल पुत्र स्व0भगवानदीन	ग्राम व पो0 जामों, जिला अमेठी	सदस्य	कृषि
16.	श्रीमती अरुणिमा सिंह पत्नी श्री प्रताप आदित्य सिंह जूदेव	पैलेरा सराय केला सिंह भूमि (बिहार)	सदस्य	समाजसेवा
17.	श्री अभय सिंह पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह	कोठी सतना, जिला सतना (म0प्र0)	सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

अध्यक्ष
उमा रमण जन कल्याण समिति
जामों कोट जामों, अमेठी (उ0प्र0)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

10 **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 **संस्था का कोष की व्यवस्था :** संस्था के कोष की व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर किया जायेगा। उक्त खाता अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सचिव/ प्रबन्धक तीन लोगो के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा। धन निकासी हेतु चेक पर हस्ताक्षर उपरोक्त तीन मे से किन्हीं दो लोगों द्वारा किया जायेगा।

12 **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :**

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण मान्यता प्राप्त एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रति वर्ष कराया जायेगा।

13 **संस्था के अभिलेख :**

1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही राजिस्टर 3 स्टाक रजिस्टर 4 कैश बुक 5 चन्दां रसीद आदि

14 **संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज़ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

कार्यालय निबन्धक समितियाँ ... फैजाबाद उ०प्र० सत्यमेव जयते

अध्यक्ष
उमा रमण जन कल्याण समिति
जामों कोट जामों, अमेठी (उ0प्र0)

ह० नि० अंगूठा ...

प्रतिलिपि कर्ता..........

मिलान कर्ता..........

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AC 782398

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
फैजाबाद उ०प्र०

श्री उमारमणी जन कल्याण समिति
अमेठी ऋ० = 11961

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
16/10/14

स्मृति-पत्र

–: स्मृति – पत्र :–

१– संस्था का नाम : श्री उमारमण जन कल्याण समिति,
२– संस्था का पूरा पता : ग्राम – जामोकोट, पोस्ट – जामो, जिला सुल्तानपुर।
३– संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
४– **संस्था का उद्देश्य** :

१– शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, समाज के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कालेज / इंजीनियरिंग कालेज / तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा हर प्रकार के औपचारिक / अनौपचारिक / प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।

२– बालको एवं बालिकाओं के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास व क्रीड़ास्थल का निर्माण व उसकी व्यवस्था करना।

३– विभिन्न शिक्षण संस्थानों को खोलना तथा उनका संचालन एवं समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

४– बालक / बालिकाओं का सर्वागींण विकास का प्रयास करना, गरीब, निर्बल, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्प संख्यकों को यथासम्भव निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।

५– हस्तकला से सम्बन्धित कृषि पर आधारित ग्रामोद्योगो एवं कुटीर उद्योगो की स्थापना करना, उन्नतिशील एवं तकनीकी कृषि प्रदर्शन, बीज संशोधन, फल संरक्षण, ग्रामोद्योगो, डेरी उद्योगो तथा अन्य कुटीर / लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन करना।

६– विभिन्न प्रकार के हस्तकला एव व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करके तथा रोजगार के अन्य साधनों का सृजन करके स्वरोजगार उपलब्ध कराना।

७– समाज के विभिन्न प्रकार के विकलांगो जैसे– गूंगू, बहरे, अन्धे, लूले–लंगड़े, मन्द बुद्धि, तथा लुंज–पुंज आदि विकलांगताओं से ग्रसित लोगो, निराश्रितों, समाज के अन्य निर्बल वर्ग जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, भूमिहीन, वृद्ध, विधवाओं तथा मजदूरों के पुर्नवास शिक्षा–दीक्षा, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, भूमिहीन, वृद्ध, विधवाओं तथा मजदूरों के पुर्नवास शिक्षा–दीक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना तथा तकनीकी शिक्षा दिलाकर उनको रोजगार नें पुर्नवासित

सत्य प्रतिलिपि

८– पर्यावरण जागरूकता, प्रदूषण, भूमि सुधार, ऊसर सुधार, मलिन बस्तियों का सुधार कराना एवं जागरूकता पैदा कराना। पेयजल व्यवस्था, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य सुधार एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी शिविरों का आयोजन करना तथा इनसे सम्बन्धित सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग करना।

उप निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटियों तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
16/10/19

९– समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे – छुआ–छूत, बाल विवाह, नशाखोरी, दहेज–प्रथा, पर्दा प्रथा आदि के व्यापक उन्मूलन का अभियान चलाना।

१०– किसान मजदूर व कारीगरों के कल्याणार्थ एवं उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास करना।

११– स्वावलम्बन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना जैसे – रेडियो, टेपरिकार्डर, टाइप, शार्टहैण्ड, बोरिग मकैनिक, सिलाई–बुलाई, मोटर मकैनिक, फल संरक्षण, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, साबुन, अगर बत्ती, मोमबत्ती, माचिस उद्योग आदि विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योगो तथा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योगो की स्थापना करना, प्रशिक्षण दिलाना, तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी को प्रोत्साहन दिलाना।

क्रमशः——— २ –

१२– केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, राष्ट्रीय बालकोष व युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।

१३– युवको को संगठित कर आत्म निर्भरता पैदा करना, उनमें साहसिक भावना बढ़ाने हेतु खेल–कूल, विचार–गोष्ठी, युवा सम्मेलन एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजना करना।

१४– कला एवं सांस्कृतिक तथा साहित्य सम्बन्धी प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, विचार–गोष्ठी व सेमिनार का आयोजना करना, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे – वाद–विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक संगोष्ठी, सेमिनार, कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, लोक कलाओं का प्रशिक्षण एवं आयोजन करना।

१५– समाज के कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं, महिलाओं, बच्चों एवं युवा वर्ग के कल्याणार्थ, सामाजिक [illegible] शैक्षणिक विकास हेतु आवश्यक विद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन।

[illegible] महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसे क्रेच, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों विद्यालयों, श्रमिकों के शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

[illegible] कुष्ठ रोगियों के कल्याणार्थ स्वयं संस्था द्वारा एवं सरकारी संसाधनों से प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराना।

१८– वृद्ध, विधवा एवं निराश्रितों के सहायतार्थ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना तथा प्राकृतिक आपदा पीड़ितों जैसे बाढ़ पीडित, भू–स्खलन पीड़ित, आगजनी पीड़ित आदि लोगों की सहायता कराना ।

१६– समिति द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं स्वरोजगार हेतु लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों की स्थापना द्वारा उनके स्वरोजगार का प्रबन्ध विभिन्न प्रकार के सेमिनार, गोष्ठियों तथा शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था । लोक कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संस्था द्वारा ज्योतिमा केन्द्र के रूप में संचालित किया जायेगा ।

२०– राष्ट्रीय एवं समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन टीकाकरण का प्रचार – प्रसार करना, सफाई साक्षरता तथा एड्स जैसी गम्भीर बीमारियों के प्रति लोगों को सजग रखना तथा शिशुओं व माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था कराना।

२१– प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार की दृष्टि से ग्रामीणों एवं वनवासियों में ग्रामीण स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कराकर महिलाओं को साक्षर बनाना ।

२२– महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये हस्तकला, शिल्पकला व लोक कला के क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना व संचालन तथा उन्हें स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना ।

मण्डलीय कार्यालय ... फैजाबाद उ०प्र०

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
16/10/14

क्रमशः––––––3–